

बनाम

तहसीलदार महोदय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.10.2015 मु.न. 58/2015
अनुवानी सरकार बनाम नारायण राम न्यायालय तहसीलदार
दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री अमर सिंह सुण्डा

निर्णय

दिनांक:-13.11.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा अपीलांट को एक नोटिस दिया गया कि खसरा नम्बर 68 किस्म चारागाह की भूमि पर 0.02 हैक्टर पर छान, बाड़ा बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। प्रार्थी/अपीलान्ट नोटिस की तारीख दिनांक 07.10.15 को तहसीलदार, दांतारामगढ़ के न्यायालय में हाजिर होकर जवाब के लिए समय चाहा, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कोई मौका न देकर अपना निर्णय दिनांक 07.10.2015 को पारित कर प्रार्थी अभियुक्त के 50/-रुपये पेनेल्टी कर हल्का पटवारी को अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवायी का कोई मौका नहीं देकर एकतरफा निर्णय देकर सख्त कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा अनाधिकृत कब्जा भूमि का नोटिस दिया गया है इस भूमि का हल्का पटवारी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 15.9.15 को पेश की गयी है। प्रार्थी/अपीलान्ट को ग्राम पंचायत अमरपुरा द्वारा उक्त भूमि का पट्टा दिनांक 02.12.75 में ही दे दिया गया और उसी समय से अपीलान्ट अपने मकान में विधुत कनेक्शन लेकर आवास-निवास कर रहा है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 07.10.15 निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपने आवासीय पट्टे की भूमि पर इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता लेकर मकान बनवाये है तथा स्वस्थ भारत योजना के तहत ग्राम पंचायत के माध्यम से सहायता प्राप्त कर शौचालय का निर्माण भी करवाया गया है। फिर भी तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर अपीलान्ट के मकानों की तोड़ फोड़ कर बेदखल करने पर उतारू है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 07.10.15 मु. न. 58/2015 अनुवानी सरकार बनाम नारायण राम को निरस्त करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट उपस्थित आया एवं बावजूद सूचना के

उक्त नोटिस के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांत द्वारा ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 68 रकबा 1.85 है० में से 0.02 है० किस्म चारागाह पर मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांत को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः राजकीय भूमि (चारागाह) पर मकान बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 07.10.2015 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय प्रकाश)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर
अति० जिला कलेक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official